भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2519

(10 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कें

2519. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उज्जैन जिले सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गांवों को सड़को से जोड़ने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है , यदि नहीं, तो क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने उज्जैन जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या के संबंध में कोई कार्य योजना बनाई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित आवासों का ब्यौरा एवं संख्या क्या है;

(ङ) उक्त योजनांतर्गत निर्माणाधीन आवासों का ब्यौरा एवं संख्या क्या है तथा उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है;

(च) उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) इस योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क संपर्कता की इकाई बसावट है न कि राजस्व गांव। पीएमजीएसवाई योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, जिसका

उद्देश्य 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाली पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्कता प्रदान करना था। पीएमजीएसवाई I के अंतर्गत जनसंख्या मानदंड मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और विशेष श्रेणी क्षेत्रों (रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्र और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिले) में 250+ है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, 100 या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को शामिल करने के लिए जनसंख्या मानदंडों में और छूट दी गई।

हाल ही में पीएमजीएसवाई-IV नाम से एक नई पहल आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली सड़क संपर्कविहीन बसावटों को बाहरमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। यह योजना वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जाएगी, जिसका लक्ष्य 25,000 सड़क संपर्कविहीन बसावटों को सड़क संपर्कता प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बसावटों को संभावित बसावटों का सर्वेक्षण करने तथा नामित प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

पीएमजीएसवाई-I के अंतर्गत स्वीकृत कुल 1,63,391 बसावटों में कार्य किया गया और इनमे से 1,62,742 बसावटों (99.6%) को सड़क संपर्कता प्रदान किया गया है। उज्जैन जिले में, 47 पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों की पहचान की गई थी , जिनमें से सभी को सड़क संपर्कता प्रदान की गई है (पीएमजीएसवाई - I के तहत 36 बसावटें और राज्य योजनाओं के तहत 9 बसावटें)।

पीएमजीएसवाई प्रथम का कार्य पूरा करने की समय सीमा मार्च 2025 है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है, जो प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को उस समय

तात्कालिक विकल्प के रूप में आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराती है जब बेहतर रोजगार का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, यह योजना वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करती है तथा सूखा या प्राकृतिक आपदा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 50 दिनों का अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान करती है। राज्य सरकारों के पास अपनी निधि का उपयोग करके गारंटीकृत अवधि के अलावा रोजगार के अतिरिक्त दिन आवंटित करने का विकल्प है|

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उपलब्ध कराए गए रोजगार (सृजित कार्य दिवसों में) का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**2023-24**	**2024-25 (05.12.2024 की स्थिति के अनुसार)**
सृजित कार्य-दिन (लाखों में)	24.48	13.56

नरेगा सॉफ्टवेर के अनुसार

(ग) जी हां, मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस) का उन्नयन।
(ii) मजदूरी का समय पर भुगतान, लंबित मुआवजा दावों का सत्यापन आदि की कार्यनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।

(iii) समय पर भुगतान और मुआवजे के भुगतान की निगरानी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाना।

(iv) समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठकें करना।

(v) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे रद्द लेनदेन का समय पर पुन: बिल सृजन सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक निधि रिलीज को रद्द लेनदेन की प्राथमिकता रिलीज के साथ टैग किया जाए।

(vi) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अमान्य खातों को सही करना सुनिश्चित करें।

पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (06.12.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत मध्य प्रदेश राज्य और उज्जैन जिले में समय पर सृजित स्थानांतरण आदेश (एफटीओ) का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष		**2023-24**	**2024-25**
समय पर सृजित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) का %	मध्य प्रदेश	99.78	99.95
	उज्जैन	99.93	100.00

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करके 2.95 करोड़ आवासों का निर्माण करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण अतिरिक्त आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक अगले पांच वर्षों में पीएमएवाई-जी के तहत 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण को अनुमोदित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य और उज्जैन जिले के लिए 2016-17 से पीएमएवाई-जी के अंतर्गत संचयी प्रगति निम्नानुसार है:

राज्य	**लक्ष्य**	**स्वीकृत आवास**	**पूरे किए गए आवास**
मध्य प्रदेश	41,68,046	41,50,660	36,76,363
उज्जैन जिला	44,625	44,197	35,661

आवास सॉफ्ट की 5.12.2024 की स्थिति अनुसार

(ड.): पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कुल लक्ष्य 4.95 करोड़ में से 3.33 करोड़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए हैं। जिनमें से 3.21 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 5 दिसंबर 2024 तक 2.68 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। लंबित आवासों की कुल संख्या (निर्धारित लक्ष्य की तुलना में) लगभग 65 लाख है और लंबित आवासों को पूरा करने की समय-सीमा 31 मार्च 2029 है।

(च) एवं (छ): अगस्त, 2019 से भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जेजेएम-आईएमआईएस पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 15.08.2019 को उज्जैन जिले में जेजेएम के शुभारंभ के समय केवल 42,874 ग्रामीण आवासों में नल जल कनेक्शन थे। तब से अब तक 1,46,708 लाख अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं। इस प्रकार, 05.12.2024 तक 2,64,622 ग्रामीण परिवारों में से 1,89,582 (71.64%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध है। जेजेएम सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाता है और उज्जैन सहित देश के प्रत्येक गांव को शामिल करता है। आज तक, उज्जैन जिले के 1,095 गांवों में से 416 में हर घर जल की सूचना है। राज्यवार और जिलावार जानकारी भी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे वेबलिंक **https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/jjmindia.aspx** का उपयोग करके देखा जा सकता है।

***